



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032026-271076  
CG-DL-E-19032026-271076

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1353]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947

No. 1353]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

**का.आ. 1418(अ).**— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 88) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ.5463(अ) तारीख 17 डिसेंबर 2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य रत्नागिरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के कि.मी. 161.6 से कि.मी. 205.8 तक के भूखंड में निर्माण अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन का.आ.5463(अ) तारीख 17 डिसेंबर 2025 में तारीख 09 जनवरी 2026 को "दैनिक तरुण भारत" और "दैनिक रत्नभूमी" में प्रकाशित किया गया था ;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ती प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करता है. कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग ६६ के कि.मी.१६१.६ से कि.मी.२०५.४ खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: रत्नागिरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: खेड					
गांव का नाम: खवटी					
1	७	निजी	अकृषिक	0.0631	समाधान रामचंद्र तलाठी 7 Pai
गांव का नाम: बोरज					
2	१७३/१	निजी	कृषी	0.056	सिताबाई रामचंद्र यादव, गणेश रामचंद्र यादव 173/1
गांव का नाम: धामणदेवी					
3	१५६/१/१	निजी	कृषी	0.202	शुभदा विष्णु परचुरे, विष्णु गजानन परचुरे 156/1/1
<b>Total</b>				<b>0.3211</b>	

[फा. सं. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3D ]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2026

**S.O. 1418(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number **S.O.5863(E) dated 17 December 2025** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **building maintenance, management and operation of National Highway 66 in the stretch of land Km 161.6 to km 205.4 in the District of Ratnagiri in the state of Maharashtra.**

And whereas the substance of the said notification **S.O.5863(E) dated 17 December 2025**, has been published in “**Dainik Tarun Bharat**” and “**Dainik Ratnbhumi**” Both Dated **09 January 2026** ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired with or without structure falling National Highway 66 within the stretch of land from Km. 161.6 to Km. 205.4 in the District of Ratnagiri in the state of Maharashtra.**

State: MAHARASHTRA			District: RATNAGIRI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Khed</b>					
<b>Village: Khawati</b>					
1	7	Private	Non-Agriculture	0.0631	Samadhan Ramchandra Talathi 7 Pai
<b>Village: Boraj</b>					
2	173/1	Private	Agriculture	0.056	Sitabai Ramchandra Yadav, Ganesh Ramchandra Yadav 173/1

<b>Village: Dhamandevi</b>					
3	156/1/1	Private	Agriculture	0.202	Shubhada Vishnu Parchure, Vishnu Gajanan Parchure 156/1/1
<b>Total</b>				<b>0.3211</b>	

[F. No. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3D ]

SHAIKH AMINKHAN, Director